प्रेस नोट **दिनांक 29.06.2026**

भविष्य ज्योति कार्यक्रम के तहत मेधावी छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा अमर उजाला के संचालित "भविष्य ज्योति कार्यक्रम" के अंतर्गत जनपद के विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ ने छात्र-छात्राओं को उनकी सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच के बल पर जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन करने तथा समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 29.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 42 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने

पर 393 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेस नोट

29/06/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 29/06/2026 को वारंटी अभियुक्तगण कमला सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी महमदपुर नगपुर थाना रानीपुर को ग्राम महमूदपुर से व अभिक्त सुखई राजभर पुत्र धोधा राजभर निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ
2. थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 29/06/2026 को वारंटी अभियुक्त सरवन आलम पुत्र शाह आलम निवासी शाही कटरा जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।
3. थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 29/06/2026 को वारंटी अभियुक्त उमेश यादव पुत्र शकलदेव निवासी दरगाह जनपद मऊ को दरगाह से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 29.06.2026 को 01 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी राजकुमार राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर निवासी लखनौर थाना मधुबन जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1100 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया

संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 02 अदद पिकप वाहन (लगभग 9,30,000/-रु0 कीमत) धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया जब्त–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त अनुज कुमार यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी हथौडी चनाडीह रतसड थाना गंडवार जनपद बलिया जिसके विरुद्ध थाना दोहरीघाट में मु0अ0सं0 111/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से एक पिकप वाहन (लगभग 80,000 रुपये कीमती) खरीदा था।
विजय कुमार पुत्र हीरालाल राम निवासी गंगापुर थाना हल्दी जनपद बलिया जिसके विरुद्ध थाना दोहरीघाट में मु0अ0सं0 111/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से एक पिकप वाहन (लगभग 8,50,000 रुपये कीमती) खरीदा था । कुल दो पिकप वाहन जिसकी अनुमानित कीमत 9,30,000/-रु0 जब्त किया गया।

अभियुक्त अनुज कुमार यादव पुत्र श्रीराम यादव व विजय कुमार पुत्र हीरालाल राम के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त वाहन को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 15.05.2026/15.06.2026 को उक्त वाहन को जब्त करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 20.06.2026 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत उक्त ट्रैक्टर वाहन को जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में

दिनांक 28.06.2026 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा उक्त 02 अदद पिकप वाहन को जब्त किया गया।